

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

// अधिसूचना //

क्रमांक / २७६ / अ-८२ / २०२१-२२

दिनांक २८ / १२ / २०२२

अधिसूचना अंतर्गत धारा 11 (1) भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

// अनुसूची //

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	6	7
1	2	3	4	5		
सुकमा	छिन्दगढ़	ग्राम सगुनघाट/ प.ह.न. 13 / पालेम	कुल खसरा 12	0.915 हेक्ट.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा	उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

१०  
(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा  
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

// अन्य विवरण //

ग्राम सगुनघाट से गुपनपाल मार्ग के कि.मी.1/2 में स्थित बारू नदी पर उच्च स्तरीय  
 पुल निर्माण हेतु अर्जित भूमि का विवरण  
 ग्राम - सुगनघाट, प.ह.नं. 13/पालेम, तहसील छिन्दगढ़, जिला सुकमा

सरल क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्ट.में)
1	2	3
1	368	0.060
2	369	0.100
3	391	0.060
4	393	0.040
5	392	0.040
6	396/1	0.025
7	396/2	0.020
8	394	0.060
9	440/1	0.190
10	443	0.300
11	366	0.010
12	367/2	0.010
योग:-	12 (कुल)	0.915

1. १०  
 (हरीस.एस)  
 कलेक्टर,  
 जिला सुकमा (छ.ग.)  
 एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन  
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग